

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग,

नियामक भवन,

निकट एस०एल०डी०सी०कैम्पस,

विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2023

ऊर्जा अनुभाग-3

विषय:- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैपटिव एवं रिन्युएबल ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) विनियमावली, 2019 एवं यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी०वी० ग्रिड इण्टरएक्टिव सिस्टम ग्राम/नेटमीटरिंग) रेग्यूलेशन, 2019 के अन्तर्गत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास को समुचित प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति-2022 के पैरा 5.1, 7.1.7.1 (a), 7.1 (b) 7.1 (c), 7.1 (d) 9.2, 9.2.1 (a) (b) एवं 13.5 में निम्नवत प्राविधानित किया गया है:-

5.1 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा अपने डिस्काम के माध्यम से पीएम कुसुम सी योजना एवं सोलररूफटॉप के अन्तर्गत उत्पादित सौर ऊर्जा क्रय की जायेगी। यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स /पार्क के द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को यूपीपीसीएल/डिस्काम द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा निर्धारित रिन्यूएबल परचेज आब्लीगेशन (आरपीओ) एवं निगम के वाणिज्यिक हित के दृष्टिगत यथा-आवश्यक क्रय किया जायेगा।

7.1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कैप्टिव/स्व-उपयोगार्थ निम्न संस्थानों के कार्यालय भवनों में सोलररूफटॉप फोटो वोल्टाईक संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

7.1 (a) राज्य सरकार के भवन/राज्य सरकार के नियंत्राधीन कार्यालय के भवन या परिसर/भारत सरकार या अन्य प्रांतीय सरकार के राज्य में स्थित कार्यालय भवन।

7.1 (b) सरकारी एवं गैर सरकारी सभी श्रेणी की शिक्षण संस्थाओं जिनका नियमन केंद्र सरकार / राज्य सरकार के नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

7.1 (c) यदि उपरोक्त श्रेणी की संस्था निजी किराये के भवन में संचालित है तो नेटमीटरिंग अनुमन्यता नहीं होगी।

7.1 (d) उदाहरणतय:- राज्य के सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, सभी सार्वजनिक संस्थानों छात्रावासों, प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय एवं राज्य में स्थित भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठान, अनुसंधान और विकास संस्थानों, हाली-डे होम, अतिथि गृह, निरीक्षण भवन

आदि जो सरकार की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, जे, निजी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज इत्यादि ।

2 तृतीय पक्ष को सोलर पावर विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजना की स्थापना:-

परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजनाओं की स्थापना तृतीय पक्ष को सोलर पावर विक्रय हेतु 100 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा आंशिक कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा ग्रुप कैप्टिव उपयोगार्थ और आंशिक उत्पादन तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु की जा सकती है। एक मेगावाट क्षमता से अधिक के ओपेन एक्सेस के तहत स्थापित परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे-

- सौर ऊर्जा की विक्रय पर मीटरिंग, एसटीयू/वितरण अनुज्ञप्तिधारी सबस्टेशन के स्तर पर की जायेगी।
- सौर ऊर्जा परियोजना विकास कर्ता को बाह्य पारेषण नेटवर्क और पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण करने की लागत यदि कोई हो वहन की जानी होगी।
- नोडल एजेंसियों में पंजीकरण के 90 दिनों के अंदर सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एसटीयू से सुगमतापूर्वक कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा, जो तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन होगा।

#### 9.2.1 उपलब्ध छूट (EXEMPTIONS)

9.2.1 (a) राज्यांतरिक सौर पावर का तृतीय पक्ष को विक्रय पर अथवा कैप्टिव उपयोग पर व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट तकनीकी फिजीबिलिटी एवं उ०प्र० नियामक आयोग रेग्युलेशन समय समय पर संशोधित के अनुरूप लागू होगी। वितरण/पारेषण लाईन हानि एवं क्रॉस सब्सिडी पर चार्ज, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग रेग्यूलेशन समय समय पर संशोधित के अनुरूप लागू होगा।

9.2.1 (b) सौर पावर के क्रय पर राज्यान्तरित ट्रांसमिशन तंत्र के लिए सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 % छूट होगी।

#### 13.5 ऊर्जा बैंकिंग:-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी, जो यूपीईआरसी विद्युत वितरण कम्पनी के अधीन उ०प्र० कैप्टिव रिन्यूबल एनर्जी (सीआरई) रेग्यूलेशन-2019 तथा इनके अनुवर्ती संशोधन के अनुसार 100 प्रतिशत तक होगी। ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा 25 वर्ष अथवा परियोजना के उपयोगी समयकाल जो भी कम हो के लिये होगी।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्र संख्या-1414/87-755-अति० ऊ० सो० वि०/2022 दिनांक 26-12-2022 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में उल्लिखित उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करे।  
संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव

३

तलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग को उनके पत्र दिनांक 28-11-2022 एवं 26-12-2022 के क्रम में प्रेषित
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०टा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनउ
- 5- निदेशक, यू०पी० नेडा

आज्ञा से,

(अनुष्म शुक्ला)  
विशेष सचिव